



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-307

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 290884 दिनांक 06/04/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sharad Kumar Mishra S/o ASHOK KUMAR MISHRA	श्री राजीव यादव पुत्र श्री मोहनलाल यादव	4	138.88 SQ. YARD	Private	BANK COLONY VISTAR (KH.NO-147-150,160)	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	गुलतोहर डवलपर्स की योजना बैंक कॉलोनी विस्तार के भूखण्ड संख्या सी-04 क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 03.10.2012 को श्री राजीव यादव पुत्र श्री मोहनलाल यादव के नाम से जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2012 को श्री राजीव यादव पुत्र श्री मोहनलाल यादव के द्वारा श्रीमती विमला देवी पत्नि स्वं श्रीमन मीना एवं श्री विजय सिंह मीना पुत्र श्री पृथ्वीलाल मीना के पक्ष में कर दिया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का





## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

कुमार मिश्रा  
आवेदक द्वारा  
लीजहोल्ड से  
फ्री-होल्ड पट्टा  
विलेख जारी किये  
जाने हेतु आवेदन  
किया गया। उक्त  
भूखण्ड के एक से  
अधिक बैचान होने  
के कारण  
सार्वजनिक  
विज्ञप्ति का  
प्रकाशन करवाया  
जाना अपेक्षित है।  
अतः पत्रावली  
अवलोकनार्थ एवं  
अग्रिम कार्यवाही  
हेतु प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Sharad Kumar Mishra S/o ASHOK KUMAR MISHRA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |